टिकोट उपलब्ध्यारो

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

निगरानी - 3975/2018/इंदौर/भू.रा

प्रार्थी -- श्रीमती दमयन्तीबाई पति रामलाल कुशवाह
निवासी ८०, राजनगर, सेक्टर-एफ,
इन्दौर

वि रु द्ध

प्रतिप्रार्थीगण -- (१) महावीर पिता रामदीन कुशवाह
(२) बृजलाल पिता रामदीन कुशवाह
दोनों निवासी एफ-२५०, राजनगर
ज्योति आटा चक्की के पास, इंदौर
(३) जगरुप मृतक तर्फे वारिस
(१) जानकीबाई पति जगरुपसिंह
(२) सुनील पिता जगरुपसिंह
(३) विनोद पिता जगरुपसिंह
(४) ममता पिता जगरुपसिंह
(५) माया पिता जगरुपसिंह
सभी निवासी १७८-एफ, राजनगर,
इन्दौर
(४) मोहनलाल पिता रामदीन कुशवाह
(५) रामलाल पिता रामदीन कुशवाह
दोनों निवासी ५६-एफ, राजनगर,
इन्दौर
(६) रामपाल पिता रामदीन कुशवाह
निवासी सदर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण - नामान्तरण हेतु

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

तहसीलदार, सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा रा० प्रकरण क्र० १अ-६(२)/२०१७-१८ में पारित प्रोसीडिंग आदेश दि० ११/०६/२०१८, से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थी यह निगरानी याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियत अवधि में, योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करती है :--

श्रीकपिल यादव अभिभाषक द्वारा 19-6-18 को प्रस्तुत (निगरानी) 19-6-18

अं.नि. श्रीमती दमयंतीबाई

--२ पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी /2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, सांवेर के आदेश दिनांक 11-6-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु आवेदिका द्वारा साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है । इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रकरण लम्बित करने के उद्देश्य से साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं कर, समय की मांग की जा रही है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	